न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर राज.

पीठासीन अधिकारी - श्री राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या - 10/2020
दायरा दिनांक - 24.07.2020
निर्णय दिनांक - 25/3/21

उनवान

1. हरिसिंह पुत्र बनवारीलाल जाति अहीर निवासी रघुनाथपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर

-- प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बहैसियत लैण्ड होल्डर बानसूर तहसील बानसूर जिला अलवर

-- अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट.

उपस्थित अधिवक्तागण :-

1. प्रार्थी - श्री धर्मपाल चौधरी एड.
2. अप्रार्थी - पैरोकार सरकार

-:निर्णय:-

आज यह पत्रावली हमारे समक्ष वास्ते आदेश पेश हुई। प्रकरण के सुक्ष्म तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 388 रकबा 0.06 हैक्ट., खसरा नम्बर 477 रकबा 0.08 हैक्ट., खसरा नम्बर 478 रकबा 0.10 हैक्ट., खसरा नम्बर 479 रकबा 0.15 हैक्ट., खसरा नम्बर 480 रकबा 0.76 हैक्ट., खसरा नम्बर 482 रकबा 0.21 हैक्ट., खसरा नम्बर 484 रकबा 0.86 हैक्ट., खसरा नम्बर 389 रकबा 0.97 हैक्ट., खसरा नम्बर 481 रकबा 1.08 हैक्ट., खसरा नम्बर 390 रकबा 0.52 हैक्ट., खसरा नम्बर 475 रकबा 0.42 हैक्ट., खसरा नम्बर 476 रकबा 0.35 हैक्ट., खसरा नम्बर 387 रकबा 2.02 हैक्ट., खसरा नम्बर 483 रकबा 2.68 हैक्ट., वाके मौजा रघुनाथपुरा तहसील बानसूर प्रार्थी की बुजुर्गानी कब्जेकाश्त की आराजी है जो प्रार्थी को मृतक पिता बनवारी पुत्र झूथरियां की विरासत में प्राप्त हुई है। प्रार्थी के मृतक पिता के विरासत नामान्तकरण संख्या 298 दिनांक 18.09.2005 में प्रार्थी का सही नाम हरिसिंह दर्ज करके राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत 2060 के खाता संख्या 5 में सही अंकन किया गया था परन्तु जमाबन्दी संवत 2068-71 बनाते समय राजस्व कर्मचारियों ने प्रार्थी का सही नाम हरिसिंह पुत्र बनवारी के बजाय शेरसिंह पुत्र बनवारी गलत दर्ज कर दिया जिसकी पुर्नावती आज दिन तक राजस्व रिकार्ड में होती चली आ रही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी का नाम शेरसिंह के बजाय हरिसिंह राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश दिये जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2021.08.04 13:49:47 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज पंजिका किया जाकर अप्रार्थी [illegible] नोटिस तलब किया गया। पैरोकार सरकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि मुताबिक [illegible] रिकार्ड प्रार्थी का नाम शुद्ध करते

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर (अलवर)

Scanned with CamScanner

समय राजकीय हित को ध्यान में रखते हुए विधि संगत आदेश पारित किये जाने हेतु निवेदन किया।

बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का ध्यानपुर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया। प्रार्थी के पिता बनवारी पुत्र झुथरियां की विरासत का नामान्तकरण संख्या 298 दिनांक 18.09.2005 में जयसिंह, हरिसिंह पुत्र बनवारी, सन्तरा वेवा बनवारी सही दर्ज कर स्वीकार किया गया है तथा जिसका अंकन संवत 2060 की जमावन्दी में भी सही किया गया है परन्तु उसके बाद की जमाबन्दी बनाते समय प्रार्थी का नाम हरिसिंह पुत्र बनवारी के स्थान पर शेरसिंह पुत्र बनवारी दर्ज कर दिया गया जो संवत 2068-71, 2072-2075 की जमावंदियों में भी गलत अंकित होता चला आ रहा है। उक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का नाम शेरसिंह के वजाय हरिसिंह किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार कर हाल आराजी खसरा नम्बर खसरा नम्बर 388 रकबा 0.06 हैक्ट., खसरा नम्वर 477 रकवा 0.08 हैक्ट., खसरा नम्बर 478 रकबा 0.10 हैक्ट., खसरा नम्बर 479 रकवा 0.15 हैक्ट., खसरा नम्वर 480 रकवा 0.76 हैक्ट., खसरा नम्बर 482 रकबा 0.21 हैक्ट., खसरा नम्वर 484 रकवा 0.86 हैक्ट., खसरा नम्बर 389 रकबा 0.97 हैक्ट., खसरा नम्बर 481 रकवा 1.08 हैक्ट., खसरा नम्वर 390 रकवा 0.52 हैक्ट., खसरा नम्बर 475 रकबा 0.42 हैक्ट., खसरा नम्बर 476 रकवा 0.35 हैक्ट., खसरा नम्बर 387 रकबा 2.02 हैक्ट., खसरा नम्बर 483 रकवा 2.68 हैक्ट., वाके मौजा रघुनाथपुरा तहसील बानसूर में दर्ज प्रार्थी का नाम शेरसिंह पुत्र बनवारी लाल के स्थान पर हरिसिंह पुत्र बनवारी लाल शुद्व किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष इन्द्राजात यथावत रहेंगे। तहसीलदार बानसूर को अहकाम जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बानसूर जिला अलवर
बानसूर (अलवर)

आज दिनांक 25/3/21 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2021.08.04 13:49:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बानसूर जिला अलवर
बानसूर (अलवर)

Scanned with CamScanner